संघ सरकार के वर्ष 2022–2023 के विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS OF THE UNION GOVERNMENT FOR THE YEAR 2022-2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र
Certificate of the Comptroller and Auditor General of India

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियोग लेखों की जांच मेरे निदेशन में की गई है। इन लेखों में से, दो अनुदानों अर्थात 38–भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग और 53–चंडीगढ़ के लेखे भी मेरे निदेशन में तैयार किए गए हैं। ये लेखे महालेखा नियंत्रक और सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का दायित्व हैं। हमारा दायित्व इन लेखों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। वे मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि क्या ये लेखे वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और लेखों में प्रकटीकरण की जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना तथा साथ ही, लेखों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत का तार्किक आधार उपलब्ध कराती है।

मेरे अधिकारियों द्वारा मांगी गई और प्राप्त की गई सूचना तथा व्याख्या के आधार पर और लेखों की परीक्षण के तौर पर की गई लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसरण में, यह प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के संघ सरकार के लेखों पर मेरे प्रतिवेदनों में दिए गए अभिमतों के अधीन रहते हुए ये लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के अधीन संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशियों का सही और उचित निरीक्षण प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

It is certified that these Appropriation Accounts have been examined under my direction. Of these accounts, the accounts of two Grants viz. 38-Indian Audit and Accounts Department and 53-Chandigarh have also been prepared under my direction. These accounts are the responsibility of the Controller General of Accounts, and the Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure. Our responsibility is to express an opinion on these accounts based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the accounts are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the accounts. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the information and explanations that my officers required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts, I certify, in pursuance of the provisions of Articles 149 and 151 of the Constitution of India and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, that these accounts give a true and fair view of sums expended in the year ended 31st March, 2023 compared with the sums specified in the schedule appended to the Appropriation Acts passed by the Parliament under Articles 114 and 115 of the Constitution of India, subject to the observations in my Reports on the accounts of the Union Government for the year ended 31st March, 2023.

Place : New Delhi
Dated : 17th December, 2023

(GIRISH CHANDRA MURMU)
Comptroller and Auditor General of India